

तकनीकी बिड
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
निविदा प्रपत्र

निविदा शुल्क—रु. 500/—

निविदा का नाम विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल/ कार एवं तीन और चार पहिया वाले छोटे वाहन के स्टैण्ड के ठेके के लिए ।

आपूर्तिकर्ता/फर्म का नाम

दूरभाष नम्बर

पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप

पत्र व्यवहार का पता

अर्नेस्टमनी रुपये 4,000/— मात्र (रुपये चार हजार मात्र)
बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. नं०

दिनांक बैंक का नाम

निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि 22 जनवरी, 2019 प्रातः 11:00 बजे

निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि 08 फरवरी, 2019 अपरान्ह 03:00 बजे

निविदा खुलने की तिथि व समय— 11 फरवरी, 2019 अपरान्ह 03:00 बजे

निविदा का विवरण मैं/हम

फर्म का नाम

प्रोपराइटर/पार्टनर

निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ।

पता

टेलीफोन/मोबाइल नं०

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सं० दिनांक

आयकर पैन नम्बर

(हस्ताक्षर निविदादाता)

डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

घोषणा-पत्र

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री
पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी फर्म का नाम
..... विश्वविद्यालय परिसर में साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल/कार एवं तीन और चार
पहिया वाले छोटे वाहन के स्टेण्ड के ठेके के लिए अपनी निविदा की दरें संलग्न कर रहा हूँ। अर्नेस्टमनी का
ड्राफ्ट/बैंकर चैक/एफ.डी.आर. संख्या दिनांक रुपये
..... बैंक का नाम जो वित्त अधिकारी डा० भीमराव आंबेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने निविदा सम्बन्धी नियम व
शर्तें भली भाँति पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर ठेके की
कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरे बयाने की राशि
जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार
की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी
आपत्ति के स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
द्वारा किये गये समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह—

हस्ताक्षर एवं पता

.....

हस्ताक्षर एवं पता

.....

दिनांक—

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

.....

फर्म से सम्बन्ध

पूरा पता

मोबाइल नं०

तकनीकी निविदा अर्हता प्रपत्र

(इसमें क्वालीफाई करने के बाद ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी)

निविदादाता को निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना निविदा अस्वीकार कर दी जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा –

- 1- निविदा प्रपत्रों पर वांछित हस्ताक्षर होना चाहिए ।
- 2- नियम व शर्तों को पूर्णरूपेण परिपालन करने हेतु हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
- 3- निविदा मूल्य रूपये 500/- का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि रूपये 4,000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में प्रक्रियानुसार जमा करना अनिवार्य होगा ।
- 4- फर्म/प्रोपराइटर को स्वहस्ताक्षरित पैन कार्ड की प्रति जमा करना होगा ।
- 5- फर्म को वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम से कम रूपये दो लाख के कार्य का टर्नओवर होना आवश्यक है ।
- 6- फर्म/प्रोपराइटर का किसी संस्था के द्वारा कालीसूची न किये जाने का पृथक रूप से घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
- 7- फर्म का प्रश्नगत कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।
- 8- निविदा प्रपत्र ई-टेंडर की साइट <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड करना होगा ।
- 9- ठेकेदार एवं उसके कर्मियों के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा अथवा प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन एवं दोषी नहीं होना चाहिये ।

कुलसचिव

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. वाहन शुल्क की दरें निम्न प्रकार चार्ज की जायेगी;---

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	विश्वविद्यालय परिसर	
		दर प्रतिदिन	मासिक दर
1	साइकिल	रु० 2.00	रु० 30.00
2	स्कूटर/मोटर साइकिल	रु० 10.00	रु० 150.00
3	कार/जीप/टैक्सी/टैम्पो	रु० 20.00	रु० 400.00

2. ठेकेदार को ठेके की एकमुश्त धनराशि निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में जमा कराकर बैंक रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ठेके की एकमुश्त धनराशि दो दिवस में जमा न किये जाने पर ठेका निरस्त माना जाय। विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः ठेका द्वितीय प्रस्तावक/ फर्म को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय के शैक्षिक/शिक्षेत्तर कर्मचारी/अधिकारियों के वाहनो से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के चार पहिया वाहनो से भी कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. ठेकेदार को किसी शासकीय महाविद्यालय, शासकीय संस्था अथवा विश्वविद्यालय में ठेका संचालन का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है एवं वर्ष 2017-18 में कम से कम 2 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है।
5. दरों का बोर्ड ठेकेदार द्वारा स्टैण्ड के प्रवेश द्वार पर ही लगाना होगा। विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर के स्टैण्ड से कोई वाहन चोरी होता है अथवा अन्य कोई वाहन की क्षति होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
6. निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत मिलने और जाँच के उपरान्त सही पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा सिक्योरिटी व अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी।
7. निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि वित्त अधिकारी डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। राष्ट्रीकृत बैंक की एफ.डी.आर. ही (अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. जिस कार्य के लिए ठेका दिया जा रहा है वह कार्य शिष्टाचार से कराया जाना चाहिए अगर ठेकेदार/फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से निविदा में वर्णित कार्य करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।
9. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति जी का फैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
10. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
11. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में किसी अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते हैं तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया जायेगा।
12. इस निविदा के माध्यम से ठेका सामान्य परिस्थिति में एक वर्ष तक मान्य होगा। किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि अगली निविदा एक वर्ष से पूर्व स्वीकृत नहीं हो पाती है तो अगली निविदा तक ठेके की धनराशि में नियमानुसार वृद्धि करते हुए धनराशि (निर्देशित अवधि तक का) विश्वविद्यालय कोष में तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। एक वर्ष पश्चात् दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इस शर्त से अलग कर सकते हैं।
13. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को अर्नेस्ट जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।
14. तकनीकी व वित्तीय निविदा की हार्ड कॉपी www.dbrau.org.in एवं <https://etender.up.nic.in> वेबसाइट से डाउनलोड कर एक प्रति पृथक-पृथक लिफाफों में **कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा। निविदा खोलने की तिथि व समय पर निविदायें विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी।** लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड की हार्डकॉपी अलग-अलग लिफाफे में रखी जायेंगी।
—तकनीकी एवं वित्तीय विड अलग-अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।
—तकनीकी बिड वाले लिफाफे में तकनीकी निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कार्य के अनुभव प्रमाण-पत्र, निविदा मूल्य का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. तकनीकी विड के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आदि डालने होंगे उस पर "तकनीकी विड" अवश्य लिखा जाये।
—जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय। वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रपत्र पर वित्तीय बिड/दर का उल्लेख कदापि न किया जाय अन्यथा उनका निविदा आवेदन निरस्त कर

दिया जायेगा । निविदा के दरों आदि में अपरलेखन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा । यदि कटिंग की गयी हो तो वह निविदादाता द्वारा स्वयं प्रमाणित हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

15. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा ।
16. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
17. निविदा खोलने की तिथि से 90 दिवस तक वैध मानी जायेगी ।
18. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य/आपूर्ति करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा ।
19. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा ।

हस्ताक्षर निविदादाता

पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता

.....

मोबाइल नं०

मोहर